न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– राजकुमार चौधरी
<u>नियमित जमानत आवेदन संख्या 115/2026</u>
मोकामा थाना कांड संख्या 01/2026

राकेश कुमार, पिता–प्रेम साव, उम्र करीब 22 वर्ष
साकिन–ततवा टोली वार्ड नं0 08, गौशाला रोड, कौवा भोग, पोस्ट+थाना–मोकामा, जिला–पटना........आवेदक अभियुक्त

बनाम्

बिहार सरकार .... विपक्षी

आवेदक अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री आनंद गौरव
बिहार सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– मो0 एस0 आर0 रहमान

आदेश

10.03.2026 कराधीन आवेदक अभियुक्त राकेश कुमार की ओर से नियमित जमानत आवेदन धारा 483 बी.एन.एस.एस. के तहत् दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति अभियोजन को प्रदान किया गया है। यह वाद मोकामा थाना कांड संख्या 01/2026, अंतर्गत धारा 25(1-b)(a), 26, 35 शस्त्र अधिनियम से सम्बंधित है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 01.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को संचालित करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त की ओर से पूर्व में कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त निर्दोष है, इन्होने कोई अपराध नही किया है तथा आवेदक अभियुक्त को इस वाद में झूठा फॅसाया गया है। प्राथमिकी में लगाया गया आरोप पूर्णतः असत्य, मनगढ़ंत एवं सूचक के बेबुनियाद दिमाग की उपज है। आवेदक अभियुक्त के पास से एक देशी कट्टा एवं दाहिना पॉकेट से दो कारतूस बरामद होना पूर्णतः असत्य एवं बनावटी है। आवेदक अभियुक्त का आपराधिक इतिहास नही है। सत्यता यह है कि पुलिस से मिलीभगत कर आवेदक अभियुक्त को ग्रामीण राजनीति के तहत् झूठे और बनावटी केस में फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 01.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों को मानने एवं सक्षम जमानतदार देने हो तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त को नियमित जमानत पर मुक्त किया जाय।

अभियोजन जमानत का विरोध करते हैं।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि, इस वाद के सूचक पु0अ0नि0 कुणाल कुमार हैं। इन्होंने दिनांक 01.01.2026 को रात्रि 00:30 बजे अपने लैपटॉप के माध्यम से अपना बयान टंकित किया, जिसमें कथन किया है कि दिनांक 31.12.2025 की रात्रि 22:45 बजे सशस्त्र बल के साथ वाहन चेकिंग के लिए प्रस्थान किया और रात्रि गस्ती एवं छापामारी में करीब 23:20 बजे रेलवे मालगोदाम रोड में आने वाले वाहनो का चेकिंग कर रहा था, तभी दो मोटर

लगातार

10.03.2026 साईकिल पर सवार तीन लोग चेकिंग देखकर गाड़ी छोड़कर भागने लगे, जिसमें दो व्यक्तियों को पुलिस बल के सहयोग से पकड़ा गया और एक भागने में सफल रहा। दोनो व्यक्ति से भागने का कारण पूछा तो स्पष्ट जबाब नही दिया। उनकी संदिग्ध गतिविधि को देखते हुए उनका और उनके गाड़ियों को तलाशी के लिए स्वतंत्र गवाह नहीं मिलने पर पुलिसकर्मी सूरज कुमार एवं राजेश यादव की उपस्थिति में विधिवत बारी–बारी से तलाशी लिया गया। नाम पता पूछने पर क्रमशः अपना नाम राकेश कुमार एवं राहुल कुमार बताया और भागने वाले व्यक्ति का नाम रोहित कुमार बताया। पकड़ाये व्यक्ति राकेश कुमार के बदन की तलाशी पर जींस के बाएं कमर में खोसा हुआ एक .315 बोर का देशी कट्टा एवं जींस के दाएं पॉकेट से .315 बोर का दो जिन्दा कारतूस तथा एक रियल मी कंपनी का स्मार्ट मोबाईल बरामद हुआ। आवेदक अभियुक्त राहुल कुमार के बदन की तलाशी लिया तो उसके पहने हुए जींस के दाहिने पॉकेट से .315 बोर का तीन जिन्दा कारतूस बरामद हुआ, जिसके पेंदे पर 8 एमएम के.एफ. अंकित पाया गया और एक विवो कंपनी का स्मार्ट मोबाईल फोन बरामद हुआ। दोनों मोटर–साईकिल का बारी–बारी से तलाशी लिया, जिसमें एक होंडा कंपनी का लाल एवं काला रंग का होरनेट मोटरसाईकिल जिसका रजि0 नं0 BRO9AY 7288 एवं दूसरा काला रंग का स्पलेंडर मोटर साईकिल जिसका रजि0 नं0 BR01HT 5778 है। स्पलेंडर गाड़ी आवेदक अभियुक्त राहुल कुमार लेकर आया था। पकड़ाये कारतूस का कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया तो कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया और न ही कोई संतोषजनक जबाव दिया। बरामद समानों की जप्ती सूची बनायी गई जिस पर दोनों गवाहों ने अपना हस्ताक्षर बनाया। पकड़ाये अभियुक्तों को उनके परिजनों को सूचित किया गया तत्पश्चात् विधिवत दोनों व्यक्तियों को जप्ती सूची की एक–एक प्रति हस्तगत कराया गया और विधिवत गिरफ्तार कर थाना लाया गया।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन एवं केस डायरी का अवलोकन किया। कांड दैनिकी के पारा– 02 में प्रस्तुती सह जप्ती सूची है। जिसमें एक देशी कट्टा, 5 कारतूस, दो माबाईल एवं दो मोटरसाईकिल बरामद किया गया है। कांड दैनिकी के पारा–03 में वादी का पुनः बयान अंकित किया गया है। कांड दैनिकी के पारा–04 में साक्षी सिपाही सूरज कुमार एवं पारा–5 में जप्ती सूची के साक्षी राजेश यादव का बयान अंकित किया गया है। पारा–10 में घटनास्थल का उल्लेख किया गया है। पारा–27 में पर्यवेक्षण टिप्पणी है। कांड दैनिकी के पारा 43, 44 एवं 50 में बरामद मोटर साईकिल का उल्लेख है, जिसमें होंडा कंपनी का लाल एवं काला रंग का होरनेट मोटर–साईकिल जिसका रजि0 नं0 BR09AY 7288 है, जो आवेदक अभियुक्त का है। पारा–49 में जिला परिवहन पदाधिकारी महोदय

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :— राजकुमार चौधरी
नियमित जमानत आवेदन संख्या 115/2026
मोकामा थाना कांड संख्या 01/2026

लगातार

10.03.2026 पटना के कार्यालय से अन्य मोटर साईकिल जिसका रजि0 नं0 BR01HT 5778 है, के स्वामी के बारे में पता चला कि मोटर साईकिल कुणाल कुमार का है, जिन्होंने कहा कि 15—20 दिनों से राहुल कुमार उपयोग कर रहा था और मोटर साईकिल मांगने पर बोला कि आ रहे हैं और नही आया। सुबह पता चला कि राहुल अपने दोस्त के साथ पार्टी मनाने के लिए जा रहा था जिसे हथियार के साथ पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। आवेदक अभियुक्त का आपराधिक इतिहास नहीं है तथा आवेदक अभियुक्त दिनांक 01.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। पारा—54 के अनुसार वाद का अनुसंधान जारी है। इस वाद के अन्य सह अभियुक्त राहुल कुमार को इसी न्यायालय के द्वारा बी.पी. नं0 36/2026 दिनांक 02.02.26 को जमानत दिया गया है और इन पर भी लगाये गये आरोप समान प्रकृति के प्रतीत होते हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों एवं न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्त राकेश कुमार को जमानत पर मुक्त करना मैं उचित समझता हूँ। अतः आवेदक अभियुक्त राकेश कुमार का जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है। आवेदक अभियुक्त को मो0 10,000 रूपये का शपथयुक्त बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने के उपरांत जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि एक जमानतदार परिवार के लोग होंगे तथा आवेदक अभियुक्त वाद के अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करेंगे।

(लेखापित/शुद्धित)

(राजकुमार चौधरी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बाढ़

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– राजकुमार चौधरी
<u>नियमित जमानत आवेदन संख्या 115 / 2026</u>
मोकामा थाना कांड संख्या 01 / 2026